# सोनभद्र पुलिस

## प्रेस विज्ञप्ति

**दिनांक- 11.08.2026**

**Operation Conviction : 23 मार्च 2026 को थाना अनपरा पर दर्ज पॉक्सो एक्ट के अभियोग में सोनभद्र पुलिस की त्वरित विवेचना एवं प्रभावी पैरवी, मात्र 10 दिन में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित; लगभग 04 माह में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹73,000 के अर्थदण्ड की सजा**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे **"Operation Conviction"** अभियान के क्रम में थाना अनपरा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा गंभीर एवं संवेदनशील पॉक्सो एक्ट के अभियोग में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का वैज्ञानिक एवं विधिक संकलन तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप मुकदमा दर्ज होने के **लगभग 04 माह के अल्प समय** में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए **आजीवन कारावास एवं ₹73,000 के अर्थदण्ड** सहित विभिन्न धाराओं में कठोर सजा से दण्डित किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.03.2026 को वादी द्वारा थाना अनपरा पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि वह चेन्नई में रहते हैं तथा उनकी दो पुत्रियां, जिनकी **उम्र लगभग 09 वर्ष एवं 07 वर्ष** है, घर पर रहती हैं। वादी के घर आने-जाने वाला **अली फैयाज उर्फ फैज पुत्र सलीमुद्दीन**, निवासी वार्ड नं0-8, ग्राम बिकताम्, पोस्ट ओखरगाड़ा, थाना मेराल, जनपद गढ़वा, झारखण्ड, हाल पता अशोका नगर, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है, द्वारा पिछले **लगभग एक वर्ष से दोनों बच्चियों के साथ अनुचित स्पर्श** (Bad Touch) किया जाता था तथा उन्हें डराया-धमकाया जाता था। दिनांक 23.03.2026 को बच्चियों द्वारा उक्त घटना के संबंध में अपनी चाची को बताया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर **थाना अनपरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग** पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

### त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना-

उक्त मुकदमे की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक **सत्येन्द्र कुमार राय**, थाना शक्तिनगर, जनपद सोनभद्र द्वारा संपादित की गई। विवेचक द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए **मात्र 10 दिन के अल्प समय में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय** प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमे से संबंधित गवाहों के बयान, साक्ष्यों का संकलन एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई गई, जिससे अभियोजन पक्ष को माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में सहायता मिली।

## प्रकरण का विवरण-

थाना : अनपरा, जनपद सोनभद्र

एस0टी0 संख्या : 279/2026

मु0अ0सं0 : 70/2026

धारा : 64(2)एम, 65(2), 75(1)(i), 351(3) BNS एवं 5M/6, 5L/6, 9L/6, 9M/10 पॉक्सो एक्ट

## दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-

अली फैयाज उर्फ फैज पुत्र सलीमुद्दीन, निवासी वार्ड नं0-8, ग्राम बिकताम्, पोस्ट ओखरगाड़ा, थाना मेराल, जनपद गढ़वा, झारखण्ड, हाल पता अशोका नगर, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र।

## आज दिनांक 11.08.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय-

1. माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को **पॉक्सो एक्ट की धारा 6** के अन्तर्गत **आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कारावास) एवं ₹60,000 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. अभियुक्त को **पॉक्सो एक्ट की धारा 10** के अन्तर्गत **05 वर्ष के कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3. अभियुक्त को **धारा 351(3) BNS** के अन्तर्गत **03 वर्ष के कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

## सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-

उक्त अभियोग में थाना अनपरा पुलिस द्वारा की गई त्वरित एवं प्रभावी विवेचना, मात्र 10 दिन में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जाने, साक्ष्यों का गुणवत्तापूर्ण संकलन, मुकदमे से संबंधित गवाहों के बयान एवं अन्य विधिक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने, अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को माननीय न्यायालय से कठोर सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

**सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा सशक्त अभियोजन के माध्यम से दोषियों को माननीय न्यायालय से सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।**